15

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 159/2021

सुभाषचन्द्र स्वामी पुत्र स्व0 चयानण दास स्वामी, ग्रा0पो0 बाडेट, वाया टमकोर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं, पिनकोड 331026 मो0न0 9982487629

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 13.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 19.08.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 159/2021 पर दिनांक 19.08.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2642—2643 दिनांक 24.08.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर ने पत्रांक आर0टी0आई0/2021/332 दिनांक 10.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर जबाब प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत किया गया आवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2021/1269 दिनांक 20.07.201 के द्वारा उक्त आवेदन से संबंधित सूचना आवेदक को निर्धारित समयावधि मे प्रेषित कर दी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (तहसीलदार) मलसीसर द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2021/332 दिनांक 10.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर जबाब प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत किया गया आवेदन प्राप्त होने पर उनके कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2021/1269 दिनांक 20.07.201 के द्वारा उक्त आवेदन से संबंधित सूचना आवेदक को निर्धारित समयावधि मे प्रेषित कर दी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं